

प्रेषक,  
अच्छे लाल सिंह यादव,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।  
सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक-03 मई, 2018

विषय:-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा एवं विशेष कठिनाई से आच्छादित बेघर जीर्ण-शीर्ण आवास वाले और कच्चे घरों में रह रहे गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" के पात्र लाभार्थियों की सूची सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-579/38-4-18-123(विविध/2017 टी०सी०-1, दिनांक 18.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" के मार्गनिर्देशों के प्रस्तर 2 के उपप्रस्तर-3 में उल्लिखित वरीयता क्रमांकों में से सर्वप्रथम प्रारम्भ के तीन वरीयता क्रमांक वाले परिवारों को पूर्ण रूप से संतृप्त किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" के मार्गनिर्देशों के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-3.1 से 3.4 तक में उल्लिखित श्रेणियों के पात्रता क्रमांकों वाले पात्र परिवारों को सर्वप्रथम संतृप्त किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है।


कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए योजनान्तर्गत उक्त सत्यापित पात्रता सूची को आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० द्वारा निर्धारित वेबसाइट में शीघ्र अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय  
  
(अच्छे लाल सिंह यादव)  
विशेष सचिव।

संख्या:-611(1)/38-4-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
  
(अच्छे लाल सिंह यादव)  
विशेष सचिव।

प्रेषक,  
अच्छे लाल सिंह यादव,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।  
सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक-03 मई, 2018

विषय:-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा एवं विशेष कठिनाई से आच्छादित बेघर जीर्ण-शीर्ण आवास वाले और कच्चे घरों में रह रहे गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" के पात्र लाभार्थियों की सूची सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-579/38-4-18-123(विविध/2017 टी०सी०-1, दिनांक 18.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" के मार्गनिर्देशों के प्रस्तर 2 के उपप्रस्तर-3 में उल्लिखित वरीयता क्रमांकों में से सर्वप्रथम प्रारम्भ के तीन वरीयता क्रमांक वाले परिवारों को पूर्ण रूप से संतृप्त किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" के मार्गनिर्देशों के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-3.1 से 3.4 तक में उल्लिखित श्रेणियों के पात्रता क्रमांकों वाले पात्र परिवारों को सर्वप्रथम संतृप्त किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए योजनान्तर्गत उक्त सत्यापित पात्रता सूची को आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० द्वारा निर्धारित वेबसाइट में शीघ्र अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अच्छे लाल सिंह यादव)  
विशेष सचिव।

संख्या:-611(1)/38-4-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा के  
(अच्छे लाल सिंह यादव)  
विशेष सचिव।